राजस्व वाद संख्या 277 / 2023
GCMS NO. 2023 / 161
मोहरसिंह बनाम इलियास वगै0
आदेश दिनांक 13.08.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 277 / 2023
GCMS NO. 2023 / 161
मोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं। – प्रार्थी

बनाम

1. इलियास पुत्र इब्राहिम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. असगर पुत्र इब्राहिम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. जाकीर पुत्र इब्राहिम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. आमीना पत्नी इब्राहिम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. कृष्णसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. लालसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
7. विमला कवंर पुत्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
8. सार्दुलसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
9. भींवसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. संतोषकवंर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
11. प्रदीपसिंह पुत्र विनोदकंवर दोहिता बनेसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
12. मानकंवर पत्नी मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
13. दीपेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
14. निलेशकंवर पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
15. सुमनकवंर पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण–ममता वर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13.08.2025

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं हाल निवास चूरू का निवासी है, जिनका एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 226 तादादी 4.97 है0 रोही ग्राम ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं (राज.) में अवस्थित है। खेत खसरा नम्बर 226 तादादी 4.97 है0 पैतृक कृषि भूमि होकर प्रार्थी को भाई बटवारे में मिला हुआ है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उसके नाम से दर्ज है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 226 के चिपते पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 227, 228, 229, 278 / 229, 279 / 229, 280 / 229 स्थित हैं। अप्रार्थीगण बहुत ही झगड़ालू प्रवृति के हैं तथा

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 277 / 2023
GCMS NO. 2023 / 161
मोहरसिंह बनाम इलियास वगै0
आदेश दिनांक 13.08.2025

प्रार्थी इनके साथ मौके पर झगड़ा फसाद नहीं कर सकता, इसलिये प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाने बाबत तहसीलदार महोदय, मलसीसर को दिनांक 18.05.2022 को आवेदन किया था जिस पर पटवारी हल्का बाडेट द्वारा दिनांक 29.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी ने पटवारी की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 30.05.2022 के आधार पर अपने खेत खसरा नम्बर 226 की सुरक्षा की दृष्टि से बाड़ व तारबन्दी करने के लिये अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया तो आज कल करते रहे। अन्त में अप्रार्थीगण ने एक राय होकर प्रार्थी को उसके खेत की बाड़ व तारबन्दी करने से दिनांक 09.08.2023 को साफ इन्कार कर दिया, जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन व पत्थरगढ़ी कानूनन करवाया जाना आवश्यक हो गया। इसलिये प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर नाप करवाकर पत्थरगढी कर सीमांकन स्पष्ट करना चाहता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 226 तादादी 4.9700 हैक्टेयर, रोही ग्राम ख्याली तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनूं (राज.) नपती व पत्थरगढी प्रार्थी के खर्चे पर करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 लगायत 15 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 2, 4 लगायत 15 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कियाकी प्रार्थी की सीवं के पास ही अप्रार्थी की भूमि लगती है अप्रार्थी की भूमि पर भी अन्य निकटतम अप्रार्थीगण के अतिक्रमण कररखा है इसलिये प्रार्थी की भूमि की नपति व सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी की भूमि की भी पत्थरगढ़ी करवाई जावे ताकि सही–सही पत्थरगढ़ी हो सके और किसी के मध्य कोई विवाद ना हो। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि के सीमाज्ञान एवं नपति के साथ–साथ अन्य सभी अप्रार्थीगण की भूमि की नपति व सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करें।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की भूमि ख0न0 228, 227 का भी सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आवेदक अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में सहमत है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 का जवाब स्वीकार किया जाता है। ग्राम ख्याली स्थित भूमि ख0न0 226, 227 व 228 का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के आवेदन पर नियमानुसार सीमाज्ञान कर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर